

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 1, शुक्रवार, शाके 1942- मई 22, 2020

Jyaistha 1, Friday, Saka 1942- May 22, 2020

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 22, 2020

संख्या प.4(7)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 को संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2020 के राजस्थान अध्यादेश सं. 1 की धारा 11 का संशोधन.- राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 1) की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11. अपराधों का शमन.- (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय अपराधों का, ऐसे प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या तो अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् शमन किया जा सकेगा। (2) जहां किसी अपराध का शमन उप-धारा (1) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी और किसी आपराधिक न्यायालय में भी कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।"।

> कलराज मिश्र, **राज्यपाल, राजस्थान।**

विनोद कुमार भारवानी, प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 22, 2020

No. F.4(7)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Mahamari (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 5) promulgated by him on the 22^{nd} day of May, 2020:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 (Ordinance No. 5 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 22nd day of May, 2020)

An

Ordinance

to amend the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 11, Rajasthan Ordinance No. 1 of 2020.- For the existing section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the following shall be substituted, namely:-

"11. Compounding of Offences.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the offences punishable under this Ordinance may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such authorities or officers and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence and also no proceedings shall be instituted in any Criminal Court.".

कलराज मिश्र, Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी, Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.